राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं
E-mail: jhunjhunu.we@rajasthan.gov.in Phone No. 01592-237148

क्रमांक / 2022–23 / 1143 दिनांक / 10/01/2023

विज्ञप्ति संख्या 02 / 2022–23

जिले की निम्नलिखित पंचायत समिति के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायत में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पद हेतु उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग झुन्झुनूं कार्यालय में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	सिंघाना	1. डूमोली खूर्द
2.	सुरजगढ़	1. काजड़ा

1. आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
2. साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्त मानदेय कर्मी साथिन का पद पूर्णतः स्वैच्छिक है। विभागीय परिपत्र 38229 दिनांक 14.10.2022 एवं समय–समय पर जारी विभागीय शर्तो व निर्देशों के अध्याधीन है।
3. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र/ मूल निवास प्रमाण–पत्र/ जाति प्रमाण–पत्र/आयु प्रमाण–पत्र/विधवा प्रमाण–पत्र/तलाकशुदा प्रमाण–पत्र / अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र/ विशेष योग्यता प्रमाण–पत्र/ कार्यानुभव प्रमाण–पत्र/ बी.पी.एल प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों, जिनके आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची के लिए अंक का दावा किया जा रहा है, की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4. चयन विभागीय परिपत्र 38229 दिनांक 14.10.2022 के परिशिष्ट "ब" पर दिये गए साथिन चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार होगा।
5. विज्ञप्ति जारी होनी की तिथि को आवेदक की आयु 21–40 वर्ष होगी। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित–प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की होगी।
6. आवेदन फार्म एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता झुन्झुनूं अथवा विभागीय वेबसाईट http://www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं
E-mail: jhunjhunu.we@rajasthan.gov.in Phone No. 01592-237148

7. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 09.02.2023 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगी। सांय 05.00 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
8. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
9. एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी।

10.1.23
(विप्लव न्यौला)
उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
झुन्झुनूं

क्रमांक / 2022—23 / 1143 दिनांक / 10/01/2023

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सहायक, आयुक्त, निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झुन्झुनूं।
3. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग झुन्झुनूं।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिंघाना / सुरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।
5. सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डुमोलीखूर्द / काजड़ा, झुन्झुनूं।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को एक जिला स्तरीय क्षैत्रीय दैनिक समाचार में प्रकाशनार्थ।
7. प्रोग्रामर निदेशालय महिला अधिकारिता जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झुन्झुनूं।
9. सुपरवाईजर, म0अ0 ब्लॉक सिंघाना / सुरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।
10. नोटिस बोर्ड।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
झुन्झुनूं